भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1177
(दिनांक 28.06.2019 को उत्तर देने के लिए)

टीवी पर धूम्रपान के दृश्यों पर प्रतिबंध

1177. श्री प्रतापराव जाधवः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा धूम्रपान के दृश्यों वाली फिल्मों और धारावाहिकों के प्रदर्शन हेतु अनुमति देने पर दिशानिर्देश जारी किया गया है/जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन पर फिल्मों और धारावाहिकों में धूम्रपान दिखाने वाले प्रतिबंधित दृश्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) एवं (ख): सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण) नियमावली, 2004 में अन्य के साथ-साथ यह प्रावधान है कि तंबाकू उत्पादों अथवा उनके प्रयोग को दर्शाने वाली फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों के संबंध में, न्यूनतम 30 सेकेंड की अवधि वाले तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स को इन फिल्मों तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रारंभ तथा मध्य में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख स्थाई संदेश के रूप में तंबाकू-विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी को फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों अथवा उसके प्रयोग संबंधी प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे प्रदर्शित किया जाना है।

(ग): दूरदर्शन अपने चैनलों पर धूम्रपान के दृश्यों के प्रदर्शन के समय सांविधिक चेतावनी प्रदर्शित करते हुए एक स्क्रॉल चलाता है।

****